1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 निगरानी III/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/3485

श्री ... द्वारा ... 22-9-17 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विकास दत्तक पुत्र रामेश्वर जाति ठाकुर निवासी ग्राम बडा पुरा मौजा उसैथ तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

.... प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती सरोजनी देवी पत्नी रामनिवास
2. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी राधेश्याम
3. श्रीमती सुलेखा देवी पत्नी सत्यवीर सिंह समस्त जाति ठाकुर निवासी ग्राम बडा पुरा मौजा उसैथ तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

...............प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चंबल संभाग जिला मुरैना म.प्र. के प्र.क्र. 385 /2016-17 दितीय अपील मे पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी ,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 3485

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
21 –12–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 385 / 2016–2017 / अपील में पारित आदेश दिनांक 29.08.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मौजा उसैथ तहसील पोरसा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 281, 399, 982, 1172, रकवा कमशः 0.041, 0.34, 0.41, 0.08 हैक्टर्स पर प्रार्थी का वसीयत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण दिनांक 27.6.07 को स्वीकार किया गया था। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा दिनांक 7.7.17 को अपील निरस्त कर दी गई है। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायाल में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 29.8.17 को अपील निरस्त की गई है। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्याान किया गया । अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ	

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के न्यायालय में मूल विक्रय पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था। उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण समाप्त कर दिया गया। अपर आयुक्त ने भी यही निष्कर्ष अपने आदेश में निकाला गया है। अतः अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 385/2016–2017/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.08.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर अग्राह की जाती है।

सदस्य